न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 100/2013

1. सरकार जरीये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

— — वादी

–:: बनाम ::–

1. ललीता पत्नी संजय कुमार जाति ब्राहम्ण साकिन 1 बी छोटी श्रीगंगानगर।
2. प्रशान्त } पुत्रान संजय कुमार जाति ब्राहम्ण साकिन 1 बी छोटी श्रीगंगानगर।
3. कार्तिक }
4. लविश छाबड़ा पुत्र नरेश छाबड़ा जाति अरोड़ा निवासी विनोबा बस्ती श्रीगंगानगर।

— — प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

— :: निर्णय ::—

दिनांक :— 17.07.2018

स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा अन्तर्गत धारा 177 आर.टी.ए. का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत प्रतिवादी के नाम चक 1 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9–10–11/0.759, 12/1 का 0.089, 16/2 का 0.177, 17–18/.0506, 19–20/.506 कुल 2.163 हैक्टर नहरी रकबा अप्रार्थी के नाम कृषि भूमि एकल खाता में दर्ज रिकार्ड है।

उक्त खातेदारी भूमि चक 1 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9–10–11/0.759, 12/1 का 0.089, 16/2 का 0.177, 17–18/.0506, 19–20/.506 कुल 2.163 हैक्टर नहरी रकबा का उपयोग कृषि कार्य में ना होकर मौके पर सड़के आवासीय मकान एवम् प्लाट काटकर अकृषि कार्य में उपयोग किया जा रहा है।

उक्त वर्णित आराजी काबिले काश्त है, केवल मात्र कृषि कार्य के लिये दी गई है इसे बिना सक्षम अधिकारी के सम्परिवर्तन करवाये/स्वीकृति प्रापत किये अकृषि कार्य के उपयोग में किया जा रहा है, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना अकृषि उपयोग में लेना गैर कानूनी है।

उक्त वर्णित रकबा चक 1 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9–10–11/0.759, 12/1 का 0.089, 16/2 का 0.177, 17–18/.0506, 19–20/.506 कुल 2.163 हैक्टर नहरी रकबा मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी अनुसार बिना स्वीकृति/सम्परिवर्तन कराये अकृषि उपयोग में किया जा रहा है। जो कानून की अवहेलना हैं, उक्त वर्णित रकबा से अप्रार्थीगण को बेदखल किया जाकर राज्य हित में अधिग्रहण करने के आदेश फरमाये जावे।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि इमनें हमारी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 22 के किला नम्बर 10, 11, 17 प्रत्येक सालम किला नम्बर 16/.177 हैक्टर कुल तादादी 0.936 हैक्टर नहरी रकबा लविश छाबड़ा पुत्र नरेश छाबड़ा जाति अरोड़ा को दिनांक 22.01.2013 को बेचान कर दिया था। राजस्व रिकार्ड में खरिददारों के नाम इन्तकाल दर्ज नहीं हुआ था परन्तु खरिददारों नें नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर में भू उपयोग परिवर्तन की फाईल लगा रखी है मेरा इस भूमि में कोई सरोकार नहीं है।

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 15.12.2015 को वाद में वर्णित भूमि की मौका रिपोर्ट पेश की गई जिसमे कथन किया गया कि चक 1 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9–10–11/0.759, 12/1 का 0.089, 16/2 का 0.177, 17–18/.0506, 19–20/.506 कुल 2.163 हैक्टर भूमि में मौका पर कालोनी काटकर पक्की सड़के बनाई हुई है मौके पर 5–6 पक्के मकान बनें हुए है।

प्रतिवादीगण का साक्ष्य प्रतिवादी हेतु पर्याप्त अवसर दिये जानें के उपरान्त भी साक्ष्य पेश नहीं करनें के कारण प्रतिवादी के साक्ष्य बन्द किये जाकर पैरोकार राज को सुना गया पैरोकार राज द्वारा अपनें वाद पत्र को दौहराते हुए कथन किया कि विवादीत आराजी पर बिना किसी सक्ष्म अधिकारी की स्वीकृति के गैर कृषि कार्य किये जानें के कारण वाद पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत चक 1 बी छोटी के मुरब्बा नम्बर 22 किला नम्बर 9–10–11/0.759, 12/1 का 0.089, 16/2 का 0.177, 17–18/.0506, 19–20/.506 कुल 2.163 हैक्टर नहरी भूमि को राज्य सरकार के पक्ष में अधिग्रहण कर बहक सरकार (सिवाय चक) घोषित की किया जाता है।

अतः उक्त अधिग्रहण शुदा भूमि के सम्बंध में तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को निर्देशित किया जाता है, कि वे उक्त भूमि को अपने कब्जा में लेकर राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करना सुनिश्चित करें।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद रिपोर्ट तहसील दाखिल दफ्तर हो

आदेश आज दिंनाक 17.07.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर (राज.)

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर